TAGORE P.G. COLLEGE
SURATGARH
19th Annual Function & Prize Distribution
KHALSA
TAGORE PG COLLEGE

Tagore PG College
Celebrating 20 Years of Excellence in Education
TAGORE P.G. COLLEGE
SURATGARH
19th Annual Function & Prize Distribution
सृजन
KHALSA

टैगोर पीजी कॉलेज की छात्रा ... स्वर्ण पदक ...

दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदक से सम्मानित हुई विश्वविद्यालय में आयोजित समारोह में कुलाधिपति राज्यपाल कलराज मिश्र एवं कुलपति श्रीमान विनोद सिंह द्वारा छात्राओं को स्वर्ण पदक एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया ... विश्वविद्यालय ने प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल प्राप्त कर चुके है जो गर्व कीर्तिमान है।

...जी. कॉलेज सूरतगढ़ का ...

सीमान्त रक्षक न्यूज

हर्षिता, अवधनाथ, पंकज, हिमांशु, नीतू कुमार, खुशी शर्मा, रिया

सूरतगढ़, 2 जून। वर्ष 2024 में महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय द्वारा घोषित बी.सी.ए. कम्प्यूटर संकाय, बी.एस.सी. विज्ञान संकाय व बी.कॉम वाणिज्य संकाय के सभी वर्षों के परीक्षा परिणाम में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ टैगोर पी.जी. कॉलेज के अनेक विद्यार्थी सूरतगढ़ तहसील में टॉपर। प्राचार्य डॉ. प्रीति चुघ ने बताया कि बीसीए प्रथम सेमेस्टर में हर्षिता ने 86.5 प्रतिशत अंक प्राप्त कर सूरतगढ़ तहसील में प्रथम स्थान, चांदनी ने 85.09 प्रतिशत अंक प्राप्त कर सूरतगढ़ तहसील में द्वितीय स्थान, बीसीए द्वितीय वर्ष में अवधनाथ ने 77.66 प्रतिशत अंक प्राप्त कर सूरतगढ़ तहसील में प्रथम व रचना ने 77.16 प्रतिशत अंक प्राप्त कर सूरतगढ़ तहसील में द्वितीय स्थान, बीसीए फाइनल में पंकज ने 77.22 प्रतिशत अंक प्राप्त कर सूरतगढ़ तहसील में प्रथम व रोहित ने 75.77 प्रतिशत अंक प्राप्त कर सूरतगढ़ तहसील में द्वितीय स्थान, बी.कॉम. द्वितीय वर्ष में विवेक बजाज ने 71.5 प्रतिशत अंक प्राप्त कर सूरतगढ़ तहसील में प्रथम व मानु जग्गा ने 68.83 प्रतिशत अंक प्राप्त कर सूरतगढ़ तहसील में द्वितीय स्थान, बी.एस.सी. प्रथम वर्ष में नीतू कुमार ने 75.85 प्रतिशत अंक प्राप्त कर सूरतगढ़ तहसील में प्रथम स्थान, बी.एस.सी. फाइनल में खुशी शर्मा ने 600 में से 505 अंक (84.17 प्रतिशत) प्राप्त कर सूरतगढ़ तहसील में प्रथम स्थान, बी.कॉम. प्रथम सेमेस्टर में रिया ने 76.16 प्रतिशत अंक प्राप्त कर सूरतगढ़ तहसील ... तृतीय स्थान प्राप्त किया। बी... प्रथम सेमेस्टर में रिया 70.30 प्रति... अंक प्राप्त कर महाविद्यालय में ... स्थान व ... 68... प्रतिशत अंक प्राप्त कर महाविद्यालय में द्वितीय स्थान, बी.कॉम फाइनल मनीष जैन 68.05 प्रतिशत अंक ... कर महाविद्यालय में प्रथम ... भव्या 63.16 प्रतिशत अंक ... महाविद्यालय में द्वितीय ... बी.एस.सी. द्वितीय वर्ष में ...

... की लगाया पौधा बना वटवृक्ष

सूरतगढ़, सुभाष सिंह राजपूत। डॉ. सुशील जेटली शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 1976 से शहर में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे है। डॉ. जेटली ने महान साहित्यकार रविन्द्र नाथ टैगोर के नाम से टैगोर स्कूल की स्थापना कर शिक्षा की अलख जगाई थी डॉ. जेटली ने शिक्षा का जो पौधा लगाया था वह आज वटवृक्ष का आकार ले चुका है। टैगोर सीनियर हायर सैकेण्डरी स्कूल उच्च शिक्षा के क्षेत्र में टैगोर पीजी कॉलेज, टैगोर महिला बीएड कॉलेज व ...

पोपेरन में माँ वृद्धाश्रम स्थापित किया। आश्रम में पिछले ... वर्ष से लगातार ... भोजन ... जिसमें बेरोजगारों को ई रिक्सा दिये जायेंगे। जिसकी राशि आसान किश्तों में वापस करनी होगी। इसके अलावा गाय पालन के लिये 25 हजार रूपये बिना ब्याज के ...

एज्यूकेशन न्यूज

ई लर्निंग एप का किया शुभारम्भ

सूरतगढ़. ई लर्निंग एप का शुभारम्भ करते कुलपति।

सूरतगढ़. टैगोर पीजी कॉलेज के ई लर्निंग एप टैगोर आई ट्यूटोरियल का शुभारम्भ कुलपति प्रोफेसर डॉ. विनोद कुमार सिंह ने कुलपति सचिवालय में विधिवत रूप से किया। इस अवसर पर पीटीईटी राजस्थान के समन्वयक व डूंगर कॉलेज बीकानेर के प्राचार्य डॉ. जीपी सिंह, पीए कमलाकांत शर्मा, टैगोर पीजी कॉलेज निदेशक सचिन जेटली, प्राचार्य डॉ. राजेश मिश्रा, बीएड प्रभारी महावीर भाम्भू उपस्थित थे। निदेशक सचिन जेटली ने बताया कि इस लर्निंग एप में महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम अनुसार यूजीसी योग्यताधारी व्याख्याताओं द्वारा निर्मित वीडियो नोट्स, ई-नोट्स, ई-... महत्वपूर्ण शिक्षण सामग्री सम्मिलित किया गया है। निदेशक ... बताया कि टैगोर ... महाविद्यालय क्षेत्र का ... कॉलेज है जो इस सत्र में ... नियमित विद्यार्थियों को यह ... एप निशुल्क प्रदान करेगा। ... विद्यार्थी श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त कर ... कुलपति प्रोफेसर विनोद कु... सिंह ने महाविद्यालय के नवीनतम तकनीक व ... नवाचार की प्रशंसा करते हुए ... कि यह एप विद्यार्थियों के लिए ... उपयोगी सिद्ध होगा। इस एप ... निर्मित करने में अनुभवी शिक्षकों की टीम ने लगभग एक वर्ष ... अथक मेहनत की है। एप को ... प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ...

जूडा में टैगोर कॉलेज के विद्यार्थियों ने जीते पदक

सूरतगढ़ (सीमा सन्देश)। ... बीकानेर की ओर से आयोजित अन्तर्महाविद्यालयी जूडो प्रतियोगिता में टैगोर पीजी महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुये कई पदक ... उजेन्द्र सिंह एमएससी-प्रथम वर्ष ... ने 73 किलोग्राम, हरमन ... (बीए अंतिम वर्ष) ने 100 किलोग्राम भारवर्ग, अंकुश बिश्नोई ... अंतिम वर्ष) 81 किलोग्राम भारवर्ग में कांस्य पदक जीते। खिलाड़ियों के महाविद्यालय पहुंचने पर प्रबंध निदेशक डॉ. सुशील कुमार जेतली, प्राचार्य डॉ. राजेश मिश्रा, उप प्राचार्य डॉ. प्रीति चुघ, अति. निदेशक गगन सिंह ... फिटनेस कोऑर्डिनेटर महावीर ... ने शारीरिक शिक्षक ... मोहम्मद एवं खिलाड़ी ... माल्यार्पण कर स्वागत कि...

टैगोर पीजी कॉलेज में आर्ट एंड क्राफ्ट प्रदर्शनी

सीमान्त रक्षक न्यूज

सूरतगढ़, 27 अप्रैल। टैगोर पीजी ... लय में आर्ट एंड क्राफ्ट ... का आयोजन किया गया ... विद्यार्थियों ने स्वयं के द्वारा ... गयी आर्ट एंड क्राफ्ट की ... वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया। प्राचार्य डॉ राजेश मिश्रा, उप प्राचार्य डॉ प्रीति चुघ, अति. निदेशक गगन सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। आयोजन प्रभारी व्याख्याता मदनलाल के अनुसार इस अवसर पर आर्ट एंड क्राफ्ट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ जिसमें निर्णायकों के निर्णयानुसार प्रथम स्थान पर वीनस टीम, द्वितीय स्थान पर अभिषेक, कोमल टीम और तृतीय स्थान पर संतोष टीम रहे। निर्णायकों के रूप में व्याख्याता नूपुर सचदेवा, रमेश कुमार, महावीर भांभू, श्रीमती मेघा गुप्ता, कृपा जोशी रहे। विदित रहे इससे पूर्व आर्ट एंड क्राफ्ट का सात दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया जिसमें आर्ट एंड क्राफ्ट प्रशिक्षक श्रीमती अंजु जैन ने विद्यार्थियों को आर्ट एंड क्राफ्ट कला के गुर सिखाए। महाविद्यालय विभागाध्यक्ष पुरुषोत्तम सिंह, कृष्ण कुमार, संजय जैन सहित स्टाफ सदस्यों एवं विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया।

टैगोर कॉलेज निदेशक जेतली को पीएचडी

सूरतगढ़ (सीमा सन्देश)। स्थानीय टैगोर पीजी महाविद्यालय निदेशक सचिन जेतली को इतिहास विषय में पीएचडी की डिग्री टांटिया विवि की ओर से प्रदान की गई है। सचिन जेतली ने टांटिया विश्वविद्यालय से '1857 की क्रांति में आमजन की भूमिका' (राजस्थान राज्य के विशेष सन्दर्भ में अध्ययन) विषय पर अपना शोध कार्य रिसर्च सुपरवाइजर डॉ. दिनेश मान्डोत (प्रोफेसर एण्ड रजिस्ट्रार भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर) के निर्देशन में पूर्ण किया। फाइनल प्रजेंटेशन में बाह्य निरीक्षक के रूप में राजस्थान के प्रसिद्ध शिक्षाविद् प्रोफेसर डॉ. टीके माथुर ... पीएचडी कर चुके है। विषय विशेषज्ञ के रूप में शिक्षाविद् डॉ. पीयूष जैन उपस्थित थे। महाविद्यालय निदेशक की इस उपलब्धि पर प्रबंध निदेशक डॉ. सुशील जेतली, प्राचार्य डॉ. राजेश मिश्रा, अति. निदेशक गगन सिंह, अकादमिक उप प्राचार्य डॉ. प्रीति चुघ ने शुभकामनाएं दी। डॉ. सचिन जेतली ने बताया कि शोध का उद्देश्य 1857 की क्रांति में ... में उन्हें उचित स्थान दिला... इतिहास के इस विषय पर शोध ... में 1857 की क्रांति में आमजन की भूमिका को तथ्यों के साथ सिद्ध किया गया है कि यह केवल सैनिक विद्रोह न होकर आमजन का विद्रोह था। डॉ. जेतली ने इस शोध कार्य में सहयोग करने वाले माता श्रीमती प्रवीण शर्मा, मोनिका शर्मा, परिवार व गुरुजनों, सहयोगियों व मित्रों का आभार ...

टैगोर पीजी कॉलेज में स्पोर्टस डे का आयोजन

सूरतगढ़ (सीमा सन्देश)। ... टैगोर पीजी ... प्रांगण के खेल मैदान में ... डे का आयोजन हुआ। ... विभिन्न ... विद्यार्थी खेलकूद ... गतिविधियों में भाग लेने हेतु ... के प्रतिभागी खिलाड़ियों ...

आयोजन प्रभारी पुरुषोत्तम सिंह, हॉकी, शब्बीर मोहम्मद के निर्देशन में 33 से अधिक खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की गयी। इन सभी प्रतियोगिताओं में महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ भाग लिया और अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। खेलकूद प्रतियोगिता के सफल संचालन में कृष्ण शर्मा, कालूराम, संजय बेनीवाल, संजय जैन, अश्विनी सोनी, मदन लाल, निशेन्द्र सैनी, सुश्री ... सचदेवा, श्रीमती मेघा गुप्ता, सुश्री मुस्कान सोनी, सुश्री पूजा सैनी, श्रीमती कृपा जोशी का विशेष योगदान रहा।

बीएससी टॉपर रही गुंजन

सूरतगढ़ (सीमा सन्देश)। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय द्वारा घोषित बी.एस.सी. तृतीय वर्ष के परीक्षा परिणाम में स्थानीय टैगोर पी.जी. महाविद्यालय की छात्रा गुंजन तहसील टॉपर रही। प्राचार्य डॉ. राजेश मिश्रा ने बताया कि छात्रा गुंजन ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा 2021 बी.एस.सी. तृतीय वर्ष में 93.33 प्रतिशत अंक प्राप्त कर सूरतगढ़ तहसील में (विज्ञान संकाय) में प्रथम स्थान प्राप्त किया। छात्रा की इस उपलब्धि पर महाविद्यालय निदेशक सचिन जेतली, प्राचार्य डॉ. राजेश मिश्रा, एकेडमिक उपप्राचार्या डॉ. प्रीति चुघ अति. निदेशक गगन सिंह, विभागाध्यक्ष पुरुषोत्तम सिंह ने ... को सम्मानित किया। इस अव... स्टाफ योगेश बिश्नोई, ... भाम्भू, अमित रमण, कृपा ... मदन लाल, संजय बेनीवाल, मोहम्मद इत्यादि उपस्थित रहे। गुंजन ने अपनी उपलब्धि ... महाविद्यालय की टीम को दि... प्राचार्या डॉ. प्रीति चुघ ने बता... लगातार बेहतरीन परीक्षा ... देकर महाविद्यालय के ... निरन्तर कीर्तिमान स्थापित क...

टैगोर पी.जी. महाविद्यालय के खिलाडियों ने बॉक्सिंग प्रतियोगिता में परचम फहराया

सूरतगढ़, सुभाष सिंह राजपूत। स्वर्ण पदक, 75-81 किलोग्राम भार वर्ग में ... टैगोर पी.जी. महाविद्यालय सूरतगढ़ ... के खिलाड़ियों ...

सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में दिखाई प्रतिभा

सीमा सन्देश न्यूज

दिवाकर शर्मा

सूरतगढ़। टैगोर पी.जी. कॉलेज सूरतगढ़ में टैगोर टेक्नो हंट एवं मेगा टैगोर मास्टर माईंड सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता फाइनल प्रश्नोत्तरी रॉउण्ड का डिजिटल माध्यम से आयोजन किया गया। प्रथम चरण में टैगोर टेक्नो हंट प्रतियोगिता अतिथि एवं निर्णायक के रूप में एचसीएल में सीनियर कन्सलटेंट इंजी. साहिल आहूजा एवं सूचना सहायक सोनम सचदेवा उपस्थित रहे। संयोजक संजय जैन एवं सह संयोजक करन शर्मा ने बताया कि टैक्नो हंट में बी.सी.ए. संकाय के सभी विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रथम स्थान पर हर्षिता बाघला एवं द्वितीय स्थान पर चाँदनी, रिया व भाग्यवती रही। सफल संचालन में दिव्या आहूजा एवं हिमांशु कोठारी अव्वल रहे। द्वितीय चरण में ...

रहे। अध्यक्षता महाविद्यालय निदेशक डॉ. सचिन जेटली ने की। कार्यक्रम संयोजक अश्विनी सोनी एवं सह संयोजक हरजिन्द्र सिंह के निर्देशन में डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से लिखित परीक्षा में टॉपर 15 विद्यार्थियों की 5 टीमों के मध्य रैपिड फायर रॉउण्ड, जनरल रॉउण्ड, ऑडियो विजुअल रॉउण्ड और चॉइस राउण्ड आयोजित हुआ। ... टैगोर किंग्स (अनामिका, लक्ष्य, पवन) द्वितीय स्थान पर एवं तृतीय स्थान पर टीम टैगोर वॉरियर्स (वर्षा, संजना, मनीष) रहे। विजेता 9 प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर लेखक सुमित जोशी द्वारा एनसीईआरटी सार संकलन पुस्तक का विमोचन किया गया। भूपेन्द्र कुमार, योगेश भार्गव, सुरेश ...

श्रीगंगानगर जिला

विश्वविद्यालय खेल पदक विजेता टै... कॉलेज के खिलाड़ियों का सम्मान

टैगोर पी.जी. कॉलेज में सात दिवसीय एनएसएस शिविर का शुभारम्भ

सूरतगढ़, सुभाष सिंह राजपूत। टैगोर पी.जी. कॉलेज में सात दिवसीय एनएसएस शिविर का शुभारम्भ किया गया। प्राचार्य डॉ. प्रीति चुघ, उप प्राचार्य पुरुषोत्तम सिंह ने एन.एस.एस. ध्वजा रोहण कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर स्वयं सेवकों को एनएसएस की योजनाओं से अवगत कराते हुए चरित्र विकास के साथ-साथ राष्ट्र सेवा के लिए भी अभिप्रेरित किया गया। निदेशक डॉ. सचिन ... द्वारा श्रम दान किया गया। शिविर के प्रथम दिन स्वयं सेवकों में भारी जोश एवं उत्साह देखा गया। आगामी सात दिवसीय शिविर में स्वयं सेवकों द्वारा श्रमदान, मुख्य ... चिकित्सालय में साफ-सफाई ... सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं ... से अवगत करवाया जायेगा। ... अवसर पर प्रभारी धनेश्वर ... सहप्रभारी श्री योगेश भार्गव ने ... सेवकों को एनएसएस के उद्देश्य ... कार्य योजना से अवगत कराया।

टैगोर पी.जी. कॉलेज, डब्ल्यूसीआईसी ऑर्गेनाइजेशन एवं के.टी. कन्सलटेन्सी के संयुक्त तत्वाधान में छबील लगाई गई

सीमान्त रक्षक न्यूज

सूरतगढ़, 11 जून। टैगोर पी.जी. कॉलेज, सूरतगढ़, ...

टैगोर टेक्नो हंट एवं मेगा टैगोर मास्टर माइंड सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता फाइनल प्रश्नोतरी रॉउण्ड का डिजिटल माध्यम से आयोजन सम्पन्न

सीमान्त रक्षक न्यूज

सूरतगढ़, 29 जनवरी। टैगोर पी.जी. कॉलेज, सूरतगढ़ में ...

1,20,000 तक की छात्रवृत्तियां

समाज कल्याण विभाग	मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना	अल्पसंख्यक छात्रवृति
अधिकतम 11,000/–प्रतिवर्ष	अधिकतम 5,000/– प्रतिवर्ष	अधिकतम 12,000/– प्रतिवर्ष
श्रमिक छात्रवृत्ति	**सीताराम जिन्दल फाउण्डेशन**	**महिला योग्यता छात्रवृत्ति**
अधिकतम 13,000/– प्रतिवर्ष	अधिकतम 12,000/– प्रतिवर्ष	अधिकतम 3500/– प्रतिवर्ष

(Inspire Award 1,20,000 Per Year)

विभिन्न विभागों द्वारा प्रदत छात्रवृतियां एवं सम्बन्धित नियम एवं आवश्यक दस्तावेज सूची

1. SitaRam Jindal Foundation Scholarship

पात्रता:– सभी वर्ग के लिए स्नातक स्तर
के विद्यार्थी –छात्र 1100 रु प्रतिमाह 55 प्रतिशत अंक
छात्रा 1400 रु प्रतिमाह 50 प्रतिशत अंक
स्नातकोतर स्तर के विद्यार्थी–छात्र 1500 रु प्रतिमाह 60 प्रतिशत अंक
छात्रा 1800 रु प्रतिमाह 55 प्रतिशत अंक
आवश्यक दस्तावेज:– 10,12 व अंतिम वर्ष तक की अंकतालिका, आधार कार्ड, स्वयं का बैंक खाता, जाति प्रमाण पत्र, मूलनिवास, परिवार की वार्षिक आय प्रमाण पत्र (4 लाख तक)

2. Sharmik Kalyan Yojna Scholarship

पात्रता:1. पंजीकृत निमार्ण श्रमिक हो 2. अधिकतम दो संतान ही छात्रवृति के लिए पात्र होगें
योजना:1. निर्माण श्रमिक छात्रवृति योजना
स्नातक स्तर के विद्यार्थी –छात्र 13000 रु , छात्रा 15000 रु
स्नातकोतर स्तर के विद्यार्थी–छात्र 15000 रु , छात्रा 17000 रु
स्नातक स्तर के विद्यार्थी –छात्र 18000 रु , छात्रा 20000 रु
स्नातकोतर स्तर के विद्यार्थी–छात्र 23000 रु , छात्रा 25000 रु
2. मेधावी छात्र–छात्राओं को नगद पुरस्कार योजना
स्नातक स्तर के विद्यार्थी –8000 रु
स्नातकोतर स्तर के विद्यार्थी– 12000 रु
आवश्यक दस्तावेज: 10,12 व अंतिम वर्ष तक की अंकतालिका, आधार कार्ड, स्वयं का बैंक खाता, जाति प्रमाण पत्र, मूलनिवास, भामाशाह या जन आधार कार्ड, श्रमिक कार्ड,
अवधि:आवेदन कक्षा उत्तीर्ण करने की तीथि के अधिकतम 6 माह में या 31 मार्च तक किया जा सकता है।

3. National Scholarship Program (Center)

1. अल्पसंख्यक छात्रवृति
पात्रता:– आवेदक सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध, मुस्लिम
छात्रवृति राशि:– 9000 – 12000 रु वार्षिक
आवश्यक दस्तावेज:– 10,12 व अंतिम वर्ष तक की अंकतालिका, आधार कार्ड, स्वयं का बैंक खाता, अल्पसंख्यक जाति प्रमाण पत्र, मूलनिवास, फीस रसीद

2- Post matric SC Students Scholarship (Only Other State)
छात्रवृति राशि :9000 – 12000 रु वार्षिक
आवश्यक दस्तावेज: 10,12 व अंतिम वर्ष तक की अंकतालिका, आधार कार्ड, स्वयं का बैंक खाता, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, मूलनिवास, फीस रसीद

3- Department of Higher Education (MHRD)
पात्रता:12वीं में 85 प्रतिशत या अधिक
छात्रवृति राशि :9000 – 12000 रु वार्षिक
आवश्यक दस्तावेज: 10,12 की अंकतालिका, आधार कार्ड, स्वयं का बैंक खाता, मूलनिवास, फीस रसीद

4- Ministry of Railway
पात्रता:12वीं में 60 प्रतिशत या अधिक
छात्रवृति राशि :9000 – 12000 रु वार्षिक
आवश्यक दस्तावेज: 10,12 की अंकतालिका, आधार कार्ड, स्वयं का बैंक खाता, मूलनिवास, फीस रसीद, अभिभावक का रेलवे परिचय पत्र

4. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार

पात्रता : SC,ST,SBC/MBC(2.50 लाख वार्षिक आय) (गत वर्ष 50 प्रतिशत अंक वाले पात्र होगें) OBC (17श्रेणीयां शामिल,1.50 लाख वार्षिक आय)बी.पी.एल. कार्ड धारक, अनाथ बालक/बालिका, विधवा स्वंय/पुत्र व पुत्री, तलाकशुदा स्वयं/पुत्र व पुत्री, विशेषयोग्यता जन स्वंय/पुत्र व पुत्री (गत वर्ष 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले पात्र होगें)
आवश्यक दस्तावेज: 10,12 व अंतिम वर्ष तक की अंकतालिका, आधार कार्ड, स्वयं का बैंक खाता, जाति प्रमाण पत्र, मूलनिवास, परिवार की वार्षिक आय प्रमाण पत्र, जन आधार कार्ड/भामाशाह कार्ड (जनआधार कार्ड में विद्यार्थी, माता–पिता का नाम, जन्मतिथि 10वीं के अंकतालिका के अनुसार होना चाहिए)

5. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति, राजस्थान सरकार

पात्रता :Gen/OBC (2.50 लाख वार्षिक आय)ए (गत वर्ष 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले पात्र होगें)
छात्रवृति राशि: रु 5000/– वार्षिक
आवश्यक दस्तावेज: 10,12 व अंतिम वर्ष तक की अंकतालिका, आधार कार्ड, स्वयं का बैंक खाता, जाति प्रमाण पत्र, मूलनिवास, परिवार की वार्षिक आय प्रमाण पत्र, जन आधार कार्ड/भामाशाह कार्ड (जनआधार कार्ड में विद्यार्थी, माता–पिता का नाम, जन्मतिथि 10वीं के अंकतालिका के अनुसार होना चाहिए)

6. काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना

पात्रता: Gen/ST/ST/OBC/Minorty (2.50 लाख वार्षिक आय)ए (राजस्थान बोर्ड में 65 प्रतिशत अंक एवं सीबीएसई बोर्ड में 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले पात्र होगें) इस योजना का एक बार लाभ प्राप्त कर चुकी छात्रा, पुनः पात्र नहीं होगी। योजना में चयन मेरिट के आधार पर होगा। आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को स्कूटी के स्थान पर रु 40000 की नगद राशि का प्रावधान है।
छात्रवृति राशि: रु 5000/– वार्षिक
आवश्यक दस्तावेज: 10, 12 व अंतिम वर्ष तक की अंकतालिका, आधार कार्ड, स्वयं का बैंक खाता, जाति प्रमाण पत्र, मूलनिवास, परिवार की वार्षिक आय प्रमाण पत्र, जन आधार कार्ड/भामाशाह कार्ड (जनआधार कार्ड में विद्यार्थी, माता–पिता का नाम, जन्मतिथि 10वीं के अंकतालिका के अनुसार होना चाहिए) नियमित विद्यार्थी का प्रमाण पत्र

7. देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण तथा प्रोत्साहन राशि योजना

पात्रता:विशेष पिछड़ा वर्ग (बंजारा, बालदिया, लबाना, गाडिया लोहार, गाडोलिया, गूजर, गुर्जर, रायका, रैबारी देबासी) 12वीं में 50 प्रतिशत प्राप्तांक
योजना में चयन मेरिट के आधार पर होगा। 1000 स्कूटी देने के पश्चात् शेष छात्राओं को नियमानुसार प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
आवश्यक दस्तावेज: 10, 12 व अंतिम वर्ष तक की अंकतालिका, आधार कार्ड, स्वयं का बैंक खाता, जाति प्रमाण पत्र, मूलनिवास, परिवार की वार्षिक आय प्रमाण पत्र (दो लाख रुपए), जन आधार कार्ड /भामाशाह कार्ड (जनआधार कार्ड में विद्यार्थी, माता–पिता का नाम, जन्मतिथि 10वीं के अंकतालिका के अनुसार होना चाहिए) नियमित विद्यार्थी का प्रमाण पत्र

नोट :– महाविद्यालय विभिन्न छात्रवृत्तियों हेतु केवल मार्गदर्शन प्रदान करता है। छात्रवृत्तियों का लाभ सम्बंधित विभाग द्वारा सीधे विद्यार्थियों को दिया जाता है।

वर्ष 2023–2024 का विवरण

1. तुलसी खत्री
2. मनदीप कौर
3. ईशिता परनामी
4. प्रदीप कौर
5. रितिका व्यास
6. सीमा
7. महक
8. निर्मला
9. अल्का कुमारी

महाविद्यालय की 9 छात्राओं का काली बाई भील स्कूटी वितरण योजना में चयन

NSP (अल्पसंख्यक + MHRD)	3,00,000/-
समाज कल्याण छात्रवृत्ति	27,68,036/-
मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति	1,30,000/-
श्रमिक कार्ड योजना	1,56,000/-
इंस्पायर्ड अवार्ड कुल 7 विद्यार्थियों को प्राप्त हुई	15,40,000/-
कुल	48,94,036/-

UTKARSH CLASSES

उत्कर्ष सारथी टैगोर कम्पीटीशन क्लासेज

TAGORE P.G. COLLEGE SURATGARH 2004 T.P.G.C. SURATGARH
अनुशासन सर्वोपरि है।

Course Offered :-

RAS Foundation 3 Years

SSC 9 Months

SI Raj. Police

Online Live Classes Regular Class Room Study

Benefits for Students

Academic Excellence
Expert faculty with a Structured curriculum

Regular Testes
Weekly tests

Economical
Affordable price with the best quality

Answer Writing Practice
With proper guidance & mentor ship

Study Material
Recorded classes, Class Notes, Learning modules and DPPs

Regular Doubt Solving
Chat based doubt support

Printed Notes
Physical copies of all printed Study material

Mentorship Sessions
By toppers & eminent faculties

Helpline Number :- 01509-298346 Whatsapp Helpline Number :-9929260444, 8000280442
For More Details visit our website : - https://tagorepgcollege.org,

–: महाविद्यालय में प्रवेश संबंधी सूचनाएं :–

1. प्रवेश के लिए आवेदन महाविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर निर्धारित अवधि में जमा कराना होगा ।
2. प्रवेश आवेदन प्रपत्र विवरणिका सहित महाविद्यालय से नगद रुपए 200/– देकर प्राप्त किया जा सकता है।
3. प्रवेश की प्रक्रिया कॉलेज शिक्षा निदेशालय जयपुर एवं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत की जाएगी ।
4. प्रवेश अभ्यर्थी द्वारा प्राप्तांकों की वरीयता के आधार पर किया जाएगा ।
5. प्रवेश के लिए वरीयता सूची बनाते समय शिक्षा निदेशालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार बोनस अंक दिए जाएंगे ।
6. विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षा विभाग के प्रवेश संबंधी नियमों की जानकारी करके ही प्रवेश लेना चाहिए । नियम विरुद्ध लिया गया प्रवेश कभी भी रद्द किया जा सकता है और उसका दायित्व महाविद्यालय पर नहीं होगा ।
7. महाविद्यालय में सभी प्रवेश अस्थाई समझे जाएंगे जब तक कि विश्वविद्यालय द्वारा पुष्टि नहीं हो जाती ।
8. महाविद्यालय में प्रवेश मिल जाने के बाद भी यदि किसी विद्यार्थी का आचरण आपत्तिजनक पाया गया या उसने कॉलेज का अनुशासन भंग किया या प्रवेश फॉर्म में कोई गलत सूचना दी अथवा नियमों का उल्लंघन किया अथवा किसी भी राजनीतिक गतिविधि में लिप्त पाया गया अथवा देय शुल्क निर्धारित तिथि पर जमा नहीं करवाया तो उसका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा ।
9. प्राचार्य को यह अधिकार है कि वह बिना कारण बताए किसी भी छात्र–छात्रा का प्रवेश रोक सकते हैं/ निरस्त कर सकते हैं ।
10. छात्र–छात्राओं द्वारा आवेदन के प्रपत्र में यदि कोई सूचना असत्य अथवा आपत्तिजनक पाई गई तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा ।
11. अनुसूचित जाति, जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग विकलांग के लिए प्रमाण पत्र की फोटो प्रतिलिपि आवेदन पत्र के साथ संलग्न करवाना अनिवार्य ।
12. प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी का प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा अयोग्य ठहराया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी महाविद्यालय पर नहीं होगी ।
13. सभी प्रकार के प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित होने तक अस्थाई होंगे ।
14. द्वितीय, तृतीय तथा स्नातकोत्तर (अंतिम वर्ष) के विद्यार्थी प्रत्येक सत्र में अपना प्रवेश कर 30 जुलाई तक अवश्य करवा लेवें अन्यथा विलम्ब शुल्क देय होगी ।
15. महाविद्यालय में प्रवेश हेतु अभिभावकों से पूर्व परामर्श आवश्यक है ।
16. अभिभावकों के परामर्श के पश्चात ही प्रवेश दिया जाएगा ।

महत्वपूर्ण :– इस विवरणिका में उल्लेखित किसी भी नियम में प्रबंधन समिति को राज्य सरकार व विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार संशोधन परिवर्तन अथवा विलोपन का अधिकार है।

नोट:– 1. आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा जारी प्रवेश नीति के नियमानुसार समस्त संकाओं के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को महाविद्यालय में 31 जुलाई तक प्रवेश फार्म मय महाविद्यालय शुल्क जमा करवाना अनिवार्य होगा ।

2. महाविद्यालय में सभी प्रवेशित विद्यार्थी के प्रवेश के समय संबंधित विद्यार्थी के अभिभावक की उपस्थिति / परामर्श आवश्यक है ।अभिभावकों के परामर्श के पश्चात ही प्रवेश दिया जाएगा ।

गोल्ड मेडालिस्ट रिया मोदी को सम्मानित करते हुये माननीय VC प्रोफेसर वी.के. सिंह जी एवं परीक्षा नियंत्रक डॉ. राजाराम चोयल जी

गणतन्त्र दिवस पर प्रशासन द्वारा सम्मानित महाविद्यालय छात्रा योगिता

अंतराल के पश्चात प्रवेश :–

1. अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यार्थी यदि किसी कारण वश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले वर्ष के पश्चातवर्ती दो अकादमी सत्रों तक नियमित छात्र के रूप में किसी महाविद्यालय का विद्यार्थी नहीं रहा है तो ऐसे अभ्यर्थी को भी स्नातक प्रथम भाग में प्रवेश दिया जा सकेगा।
2. दो अकादमिक सत्रों से अधिक अंतराल व्यतीत होने के पश्चात आवेदक को किसी भी परिस्थिति में UG कक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी महिलाओं को छूट रहेगी ।
3. ऐसे छात्र जो किसी सत्र में शैक्षिक संस्था का नियमित छात्र अथवा किसी विश्वविद्यालय का स्वयं पाठी छात्र अथवा किसी तकनीकी या प्रशिक्षण संस्थान में किसी पाठ्यक्रम का नियमित छात्र रहा हो उस सत्रावधि के अंतराल की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।
4. अंतराल संबंधी उपयुक्त नियम महिला अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होंगे ।

नोट :– **महाविद्यालय में फोटोग्राफी / विडियोग्राफी पूर्णतया प्रतिबंधित है।**

ऑनलाइन परीक्षा आवेदन फार्म मय बैंक चालान एवं महाविद्यालय शुल्क No-Dues के साथ विश्वविद्यालय अंतिम तिथि के पूर्व दो दिवस के भीतर जमा करवाना अनिवार्य है तभी ऑनलाईन वेरिफिकेशन महाविद्यालय द्वारा किया जाएगा ।अन्यथाविद्यार्थी मुख्य परीक्षा से स्वतः ही वंचित हो जाएगा ।

अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रवेश :–

1. एक बार नियमित प्रविष्ट या स्वयंपाठी यदि अनुत्तीर्ण होता है या परीक्षा में नहीं बैठ पाता है अथवा परीक्षा फार्म नहीं भरने के कारण परीक्षा में सम्मिलित नहीं होता है अथवा उपस्थिति की न्यूनता के कारण परीक्षा देने से वंचित किया जाता है तो उसे उसी संकाय की उसी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

कॉलेज शिक्षा निदेशालय प्रवेश नीति 2024 (5.1.9) के अनुसार :–

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान सरकार नियमानुसार क्रमांक–एफ 7 (4)प्रवेश नीति/अकाद/आकाशि 2024–03395 दिनांक – 05/06/2024 अनुसार नियम

5.1.3 शुल्क घोषित तिथि जमा न कराने पर प्रवेश अस्वीकार/निरस्त किया जावेगा।

5.1.9 – जो विद्यार्थी वर्तमान सत्र प्रवेश के समय अथवा उसके पश्चात् किसी शैक्षणिक/अशैक्षणिक कर्मचारी के साथ दुराचार/दुर्व्यवहार अथवा गाली– गलौच करने पर प्रवेश निरस्त किया जावेगा।

5.1.7 – जो विद्यार्थी महाविद्यालय के किसी शैक्षणिक अथवा अशैक्षणिक कर्मचारी से परिसर या परिसर के बाद हिंसात्मक व्यवहार करेगा प्रवेश तुरन्त निरस्त/अस्वीकार किया जावेगा।

5.5.4 – पूरक परीक्षा के परिणाम में अनुत्तीर्ण घोषित किये जाने पर नियमित विद्यार्थी के रूप में अन्तरिम प्रवेश स्वतः निरस्त होगा व कोई शुल्क नही लौटाया जावेगा।

नियमित प्रवेश लेने पश्चात स्वयंपाठी परीक्षार्थी के रूप में फार्म भरने संबंधी निर्देश :–

1. महा विद्यालय में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश लेने पश्चात स्वयंपाठी विद्यार्थी के रूप में विश्वविद्यालय फार्म भरने से पूर्व महाविद्यालय शुल्क का नो ड्यूज करवा T.C. / C.C. जमा करवानी अनिवार्य होगी।
2. इससे संबंधित लिखित सूचना 1 अक्टूबर पूर्व तक देने पर महाविद्यालय शुल्क की प्रथम किस्त एवं 1 अक्टूबर पश्चात महाविद्यालय का पूर्ण शुल्क जमा करवाना अनिवार्य होगा।

पुस्तकालय संबंधी नियम :–

1. पुस्तकालय की व्यवस्था में छात्र/छात्रा को कोर्स में निर्धारित पुस्तकें उपलब्ध करवाना अनिवार्य नहीं है। पुस्तकालय का उद्देश्य विशेषकर संदर्भ पुस्तकें उपलब्ध कराना होता है।विशेष पुस्तकें छात्र–छात्राओं को घर पर अध्ययन के लिए नहीं दी जाती है। छात्र–छात्राऐं उन्हें पुस्तकालय में बैठकर अध्ययन कर सकते हैं।
2. पुस्तकालय में देय अमानत राशि में से 30% अनुरक्षण शुल्क काटकर शेष राशि महाविद्यालय छोड़ने पर वापिस की जाएगी ।
3. पुस्तकें प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी के पास परिचय पत्र का होना अनिवार्य है, इसके अभाव में पुस्तके नहीं दी जाएगी ।
4. जो विद्यार्थी परीक्षा तक पुस्तकें रखना चाहे उन्हें पुस्तकों की कीमत की दुगनी धरोहर राशि जमा करानी होगी जो पुस्तकें जमा कराने पर वापस लौटा दी जाएगी।

सुसज्जित पुस्तकालय

टैगोर आई–टयूटोरियल एप लोंच करते हुए
माननीय कुलपति डॉ. वी.के. सिंह जी

खेलकूद संबंधी नियमः–

भावनात्मक एवं बौद्धिक विकास व्यक्ति के स्वस्थ्य शरीर पर निर्भर करता है, अतः शारीरिक सौष्ठवता बनाए रखने के लिए महाविद्यालय में खेलकूद की पर्याप्त व्यवस्था है। योग्य तथा अन्य खेल कूद संबंधी गतिविधियों का संचालन योग्य एवं कर्मठ शिक्षकों के नेतृत्व में चलता है ।

1 खेल टीम भेजने का अधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित है

2 खेल सामग्री किट लेने के लिए निर्धारित अमानत राशि जमा करवानी होगी जिसका निर्धारण खेल प्रभारी करेगा

3 खेल विकास शुल्क 100/– प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष जमा करवाना होगा जो विश्वविद्यालय खेल शुल्क से पृथक होगा।

4 अंतर महाविद्यालय खेलों में भाग लेने वाली टीम खिलाड़ी को केवल साधारण किराया व खेल शुल्क ही दिया जाएगा।

शुल्क संबंधी नियम :–

इस सत्र में वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार ऑनलाईन एवं ऑफलाईन दोनों तरीके से कक्षाएं संचालित हो सकती हैं । केवल ऑन लाईन कक्षाएं होने की स्थिति में भी महाविद्यालय का पूर्ण शुल्क लगेगा । किसी भी स्थिति में शुल्क वापिस/स्थानान्तरित/परिवर्तित नहीं होगा ।

1. द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में तथा पी.जी. फाईनल में अस्थायी क्रमोन्नत विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम अनुत्तीर्ण रहने पर 50% शुल्क लगेगा।
2. विद्यार्थियों को टर्मिनल टेस्ट देने अनिवार्य है अन्यथा आर्थिक जुर्माना अदा करना पड़ेगा।
3. विद्यार्थियों को समाज कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक, श्रमिक, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा एवं अन्य सरकारी छात्रवृत्तियां राज्य सरकार एवं सम्बंधित विभाग द्वारा प्रदान की जाती है। महाविद्यालय द्वारा देय नहीं है। इसके लिए महाविद्यालय जिम्मेवार नहीं है।
4. फीस आगामी सत्र 2024–25 एवं 2025–26 में प्रतिवर्ष प्रत्येक कक्षा की न्यूनतम 1000 रू. बढाई जायेगी।
5. महाविद्यालय में फोटोग्राफी व मोबाईल पूर्णतया प्रतिबन्धित है।
6. विश्वविद्यालय मुख्य परीक्षा फार्म जमा करवाने हेतु महाविद्यालय वार्षिक शुल्क पूर्ण रूप से जमा करवा कर No Dues लेना अनिवार्य है। महाविद्यालय शुल्क No Dues के बिना मुख्य परीक्षा फार्म जमा नही किया जायेगा व Online Verification भी नहीं होगा। जिसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी स्वयं विद्यार्थी की होगी।
7. महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ 75 प्रतिशत उपस्थिति होने पर ही देय होगा।
8. पुस्तकालय अमानत राशि अलग से ली जायेगी।
9. Enroll- Fee (नामांकन शुल्क) (केवलप्रथम वर्ष के विद्यार्थियों), विश्वविद्यालय मुख्य परीक्षा शुल्क महाविद्यालय शुल्क से अलग विश्वविद्यालय को भुगतान करना होगा।
10. ऑनलाईन महाविद्यालय प्रवेश फार्म एवं Prospectus Fee 200/- रूपये। TC & CC Fee 300/- एवं LOR 500/– रूपये।
11. घोषित तिथि के पश्चात विश्वविद्यालय परीक्षा फार्म दस्तावेज या न्यून उपस्थिति की कमी के कारण महाविद्यालय में जमा नही होता है तो लेट फार्म फोरवर्डिंग फीस UG/PG - 500/ व B.Ed 1000/ एवं होगी व स्वयं विद्यार्थी को जाकर फार्म विश्वविद्यालय में जमा करवाना होगा। शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा ।
12. विद्यार्थी प्रवेश पूर्व ही सुनिश्चित कर लेवें कि महाविद्यालय में जमा फीस किसी भी स्थिति में वापिस या स्थानान्तरित नहीं होगी।
13. बैंक के माध्यम से महाविद्यालय शुल्क भुगतान की स्थिति में यदि चैक बाउन्स हो जाता है तो 300/- रु. शुल्क अतिरिक्त जमा करवाना होगा तथा कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
14. गत सत्र अनुतीर्ण रहे विद्यार्थियों द्वारा महाविद्यालय में Tagore iTtutorial App कोचिंग ऑनलाईन / ऑफलाईन, अध्ययन सुविधा, ई–नोटस, विडियो नोटस की सुविधा तथा अन्य सुविधा लेने पर विद्यार्थियों को पूर्ण शुल्क जमा करवाना होगा। उक्त सुविधा न लेने वाले विद्यार्थियों को पुस्तकालय पुस्तकालय सुविधा के रूप में 2000 महाविद्यालय विकास शुल्क जमा करवाना होगा। Due Paper वाले विद्यार्थियों को प्रति पेपर 1000/- रू. विकास शुल्क महाविद्यालय में जमा करवाना होगा।
15. महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय बीकानेर मुख्य परीक्षा शुल्क पृथक से विद्यार्थी को देना होगा। जो विश्वविद्यालय को देय होगा।
16. Academic छात्रवृत्तियां केवल प्रथम वर्ष में दी जावेगी। आगामी वर्षों में देय नहीं है।
17. आयुक्तलय कॉलेज शिक्षा राजस्थान सरकार नीति 5.1.3 अनुसार घोषित तिथि तक शुल्क जमा न करवाने पर प्रवेश अस्वीकार / निरस्त किया जावेगा।

महाविद्यालय प्रवेश फार्म साथ ही महाविद्यालय शुल्क विवरण–पत्र की संलग्न प्रति पर हस्ताक्षर आपकी सहमति होगी । सत्र पर्यन्त विवाद से बचने हेतु प्रवेश पूर्व अवलोकन कर विचार विमर्श कर लेवें ।

"विश्वविद्यालय प्रायोगिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु नो डयूज पश्चात प्रवेश पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है इसके अभाव में परीक्षा से वंचित रहने की जिम्मेवारी स्वयं विद्यार्थी की होगी ।"

Refund Policy प्रवेश पश्चात् विद्यार्थी द्वारा T.C., Mark Sheet, व अन्य मूल दस्तावेज मांगने पर

मूल दस्तावेज मांगने की दिनांक	निर्धारित न्यूनतम शुल्क राशि जो जमा होनी अनिवार्य है
31 जुलाई तक मूल दस्तावेज मांगने पर	Art-6000/-, BCA, B.Sc.-8500/-, B.Com.- 8500, P.G. Course-9500/-
1 अगस्त से 30 सितम्बर तक मूल दस्तावेज मांगने पर	महाविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क की प्रथम किश्त जमा होना अनिवार्य है ।
1 अक्टूबर के पश्चात मूल दस्तावेज मांगने पर	महाविद्यालय द्वारा निर्धारित पूर्ण शुल्क जमा करवाना अनिवार्य होगा ।

सामान्य अनुशासनात्मक नियम व आचार संहिता :–

1. महाविद्यालय के प्रत्येक छात्र छात्रा को मर्यादा में रहते हुए ऐसे किसी भी कार्य एवं आचरण से दूर रहना होगा जो महाविद्यालय की गरिमा उसकी छवि को धूमिल करने वाला हो ।
2 रिक्त कालांश अथवा कालांश की समाप्ति पर छात्र–छात्राएं परिसर में इधर–उधर में न घूमे तथा शोर–शराबा न करें जिससे अध्यापन में विघ्न पड़ता हो ।
3 हड़ताल, अभद्र व्यवहार, प्रतिरोध या अन्य ऐसी किसी अवांछनीय गतिविधि में सम्मिलित होना अथवा ऐसा करने हेतु उकसाना, गंभीर अपराध है इसमें सम्मिलित छात्र–छात्रा के प्रति विश्वविद्यालय अध्यादेश के अनुसार कठोर कार्यवाही की जा सकती है ।
4 महाविद्यालय के प्राचार्य की अनुमति के बिना महाविद्यालय में किसी प्रकार का आयोजन करना चंदा अथवा दान एकत्रित करना निषिद्ध है । इस हेतु लिखित में प्राचार्य की अनुमति लेनी होगी ।
5. प्राचार्य की अनुमति के बिना सूचना पट पर किसी प्रकार की सूचना लगाना अथवा कक्षा की दीवार और श्यामपट्ट आदि पर सूचना लिखना वर्जित है । ऐसा करने पर छात्र–छात्रा के विरुद्ध आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी ।
6 प्रत्येक छात्र–छात्रा से अपेक्षा की जाती है कि वह महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने में सहयोग दें ।
7 महाविद्यालय द्वारा आयोजित गतिविधियों में अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुरूप भाग लेना प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है ।
8 भारतीय संस्कृति विश्व में अनूठी एवं सर्वोपरि है अतः हमारा कर्तव्य है कि हम संस्कृति के अनुरूप आचरण करते हुए बड़ों के प्रति सम्मान एवं श्रद्धा, छोटों के प्रति स्नेह, सहयोग, सहानुभूति आदि का व्यवहार करें और स्वयं को एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत करें ।
9 अध्ययन काल में कभी छात्र–छात्राओं के सम्मुख महाविद्यालय व्यवस्था में कुछ असुविधा एवं समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, ऐसी स्थिति में छात्र–छात्रा से अपेक्षा की जाती है कि वे सहजता एवं नम्रता पूर्वक महाविद्यालय के अधिकारियों के साथ बैठकर हल निकालने का प्रयत्न करें । रोष पूर्ण अभद्र व्यवहार उनके लिए किसी प्रकार से उचित नहीं होगा ।
10 महाविद्यालय की संपत्ति आपकी संपति है इसकी सुरक्षा समृद्धि में प्रत्येक छात्र छात्रा का सहयोग अपेक्षित है महाविद्यालय संपत्ति का नुकसान होने की स्थिति में सामूहिक जुर्माना लगाया जाएगा ।
11. विशेष परिस्थितियों में सूचना साधारण डाक अथवा मोबाईल से भेजी जायेगी डाक प्राप्त ना होने हेतु महाविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा । सूचनाएं प्राप्त करने की समस्त जिम्मेदारी विद्यार्थी की होगी ।
12 कालांश के मध्य में किसी विद्यार्थी को न बुलावें, अति आवश्यक होने पर प्राचार्य से अनुमति लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के माध्यम से बुलावें।
13 प्रयोगशाला में समस्त उपकरणों का सावधानी पूर्वक उपयोग करें प्रयोगशाला उपकरणों को क्षति पहुंचाने पर व्यक्तिगत अथवा सामूहिक जुर्माना लगाया जाएगा ।
14 साईकिल तथा अन्य वाहन पंक्तिबद्ध निर्धारित स्थान पर रखें ।
15 महाविद्यालय भवन में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश सर्वथा वर्जित है । महाविद्यालय में विद्यार्थियों के बाहरी मित्रों को प्रवेश नहीं दिया जावेगा । अभिभावक अथवा अन्य आगंतुक प्राचार्य से संपर्क कर आगंतुक कक्ष में ही किसी विद्यार्थी से भेंट कर सकते हैं ।
16. व्याख्याताओं की नियुक्ति / चयन का अधिकार प्रबन्धन के पास सुरक्षित रहेगा । वर्तमान नये सत्र नवीन व्याख्याताओं की नियुक्ति की जावेगी । पूर्व कार्यरत व्याख्याताओं को कार्यमुक्त किया जा सकता है ।

Effective Class Room Teaching

16 महाविद्यालय में विद्यार्थियों द्वारा मोबाइल का प्रयोग वर्जित है । महाविद्यालय परिसर में किसी विद्यार्थी के मोबाइल की आवाज सुनाई देने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।

17 मुख्य परीक्षा में राज्य सरकार के नकल विरोध अधिनियम व विश्वविद्यालय के नियम लागू होंगे ।

18. छात्र कल्याण परिषद एवं छात्र परामर्श केंद्र महाविद्यालय को रचनात्मक सहयोग देगा तथा छात्र छात्राओं में सर्जनात्मक प्रतिभा का विकास करने के लिए छात्र कल्याण परिषद एवं परामर्श केंद्र का गठन किया गया है इसका गठन अधिष्ठाता एवं प्राचार्य के सरंक्षण एवं निर्देशन में होगा । यह परिषद सत्र भर के कार्यक्रमों एवं योजनाओं का संयोजन करेगी । छात्र परामर्श केंद्र का उद्देश्य विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं व रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों की जानकारी देना है ।

विशेष : — 1. महाविद्यालय में किसी भी प्रकार की राजनीतिक पार्टी का अस्तित्व नहीं होगा और कोई भी विद्यार्थी महाविद्यालय में राजनीतिक गतिविधियों का संचालन नहीं करेगा ।

2. महाविद्यालय द्वारा निर्धारित टर्मिनल टेस्ट देने अनिवार्य होंगे अन्यथा महाविद्यालय आर्थिक दंड की कार्यवाही होगी विशेष परिस्थितियों में प्रवेश भी रद्द किया जा सकता है

3. अनुशासनहीनता करने वाले विद्यार्थियों को आगामी सत्र में अगली बार में प्रवेश नहीं दिया जाएगा ना ही चुनाव गतिविधि में भाग लेने दिया जावेगा ।

विशिष्ट सूचनायें : भारत सरकार की ओर से प्राप्त डी.ओ. न. NF-10-2/99 दिनांक 3.5.99 के अनुसार, शिक्षण संस्थाओं में नये प्रवेश लेने वाले छात्रों की रैगिंग लेना एक दण्डनीय कृत्य है । शिकायत की पुष्टि होने पर ऐसे छात्रों पर जो कि रैगिंग लेने की कार्यवाही में लिप्त होंगे उन पर कठोर कार्यवाही की जा सकती है ।

राज्यपाल द्वारा गोल्ड मेडल से सम्मानित होते हुये अंजली शर्मा

विद्यार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश व सूचनाएं :-

1. महाविद्यालय कार्य समय में खाली कालांश के समय विद्यार्थी अपने समय का उपयोग पुस्तकालय, वाचनालय में करे महाविद्यालय के पोर्च के आगे भीड़ न करें जिससे महाविद्यालय में आने जाने वाले पुरुष –महिला, प्राध्यापकों, छात्राओं व अभिभावकों को असुविधा न हो ।
2. विद्यार्थी महाविद्यालय की गरिमा के अंतर्गत महाविद्यालय के किसी प्रबंधक , व्याख्याता व कर्मचारी से बातचीत व्यवहार में अभद्रता ना करें अन्यथा उसे विश्वविद्यालय अध्यादेश अंतर्गत अपराध की श्रेणी में माना जाकर कक्षा से निलंबित/ निष्कासित किया जा सकता है एवं विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने से अयोग्य करार दिया जा सकता है।
3 महाविद्यालय में मद्यपान, चरस, गांजा का उपयोग व धूम्रपान सर्वथा निषिद्ध है । ऐसे मादक पदार्थ का उपयोग करने वाले छात्र को तुरंत निलंबित किया जा सकता है ।
4. विद्यार्थी द्वारा प्रथम वर्ष में लिया गया माध्यम (अंग्रेजी /हिंदी) द्वितीय व तृतीय वर्ष में रखनी होगी तो उसकी फीस स्ट्रक्चर भी माध्यम के अनुसार होगी ।

जरुरतमंद बच्चों को गर्म कपड़ों का वितरण

टर्मिनल टेस्ट :

कॉलेज शिक्षा निदेशालय से प्राप्त आदेश क्रमांक एम/8 अकाद/निकासी/ 2000/2006 दिनांक 8.6. 2000 के अंतर्गत महाविद्यालय में टर्मिनल क्लास टेस्ट होंगे । टर्मिनल टेस्ट सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य व अति आवश्यक है।

व्यक्तिगत रूप से विद्यार्थियों को सूचना प्रेषित करने हेतु महाविद्यालय बाध्य नहीं है । सूचनाओं हेतु नियमित रूप से महाविद्यालय सूचना पट का अवलोकन करते रहे ।

सत्रांक परीक्षा सेमेस्टर में एक ही बार निःशुल्क आयोजित होगी, प्रत्येक विद्यार्थी को सत्रांक परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है । विशेष परिस्थिति में पूर्व अनुमति के साथ अनुपस्थित विद्यार्थियों को एक बार अवसर प्रदान करते हुए पुनः परीक्षा शुल्क 1000/– रुपये के साथ परीक्षा देनी होगी।

डॉ. टी.के. माथुर, डॉ. पी.एम. जैन, व शोध निदेशक डॉ. दिनेश माण्डोत के समक्ष डॉ. सचिन जेतली Ph.D. साक्षात्कार में उपस्थित

निदेशक डॉ. सचिन जेटली द्वारा लिखित पुस्तक
"भारतीय इतिहास प्रारम्भ से 650 A.D." का विमोचन

पूर्व प्राचार्य डॉ. राजेश मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तकें फिजिकल जियोग्राफी, इकोनोमिक जियोग्राफी जैव मण्डल एवं जैव भूगोल का विमोचन

छात्र संघ संबंधी नियम :–

1. छात्र संघ चुनाव करवाने या न करवाने का अधिकार प्रबंधन समिति के पास सुरक्षित है ।
2 लिंगदोह समिति के नियमानुसार महाविद्यालय में किसी पार्टी का अस्तित्व नहीं होगा ।
3. छात्र संघ को निर्धारित छात्र संघ संविधान व राजनीतिक आचार संहिता का पूर्णतः पालन करना होगा ।
4. छात्र संघ को छात्र संघ डीन व प्राचार्य, प्रबंधन के निर्देशन में रहकर वर्ष भर छात्र हित में कार्य करना होगा ।
5. महाविद्यालय में आयोजन, समारोह में अतिथियों का चुनाव छात्र संघ द्वारा ना होकर प्रबंध समिति द्वारा किया जावेगा ।
6. छात्र संघ से अपेक्षा की जाती है कि उच्च स्तरीय शैक्षणिक व सौहार्दपूर्ण वातावरण में सहयोग प्रदान करें ।
7. महाविद्यालय में बाहरी पूर्व छात्रों का प्रवेश निषेध रहेगा जिसमें छात्र संघ सहयोग करें ।
8. महाविद्यालय में प्रवेश नीति, शुल्क नीति, अनुशासन का अधिकार महाविद्यालय समिति व प्राचार्य के अंतर्गत होगा। छात्रसंघ अनावश्यक दखल अंदाजी नहीं करेगा ।
9. छात्रसंघ पदाधिकारी एवं विद्यार्थी महाविद्यालय समस्याओं के निस्तारण हेतु प्रत्येक शनिवार 1 बजे से 2 बजे प्राचार्य व अनुशासन समिति से संपर्क कर सकते हैं । निर्धारित समय पर ही समस्या का निराकरण होना संभव होगा ।
10 अनुशासनहीनता / हुड़दंग की स्थिति में अनुशासन समिति की आज्ञा से छात्रसंघ भंग किया जा सकता है ।
11. अनुशासनहीनता करने वाले छात्रों को लिंगदोह समिति की सिफारिश के अनुरुप चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है ।
12. छात्रसंघ बजट छात्रसंघ अधिष्ठाता गठित समिति व प्राचार्य के अनुमोदन पश्चात ही जारी किया जाएगा ।
13 वार्षिकोत्सव में प्रशासनिक अधिकारियों को आमंत्रित करना ही निश्चित किया गया है।

गेट व्यवस्था संबंधी नियम :–

1. सभी विद्यार्थी एवं आगंतुक निर्धारित गेट से प्रवेश करें ।

गेट नंबर 1 सभी नियमित विद्यार्थी जो आई कार्ड धारक हों ।

गेट नंबर 2 आगंतुको हेतु (विशेष स्थिति में)

गेट नंबर 3 अभिभावक, पूर्व विद्यार्थी, बिना आई कार्ड धारक विद्यार्थी प्राचार्य की आज्ञा पश्चात ।